उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्या- 6/2023/303/35-1002(099)/12023-1
लखनऊ: दिनांक:19अगस्त, 2023

संशोधन/शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्वांचल विकास निधि (अनुदान संख्या-40) के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि से आच्छादित जनपदों के मध्य जिलांश की धनराशि नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-9/2023/136/35-1002(099)/1/2023-1, दिनांक 04 जुलाई, 2023 के द्वारा रू0-200.00 करोड़ (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर में अंकित तालिका के क्रमांक-8 पर अंकित जनपद-गोरखपुर के सापेक्ष जिलांश 1283.10 के स्थान पर **जनपद-गोरखपुर के सापेक्ष जिलांश 1238.10** पढ़ा जाये।

2. प्रश्नगत शासनादेश संख्या-9/2023/136/35-1002(099)/1/2023-1, दिनांक 04 जुलाई, 2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शासनादेश की अन्य शर्ते, नियम एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

जे0एल0यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या- 6/2023/303(1)/35-1002(099)/1/2023-1,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय,उ0प्र0,प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उ0प्र0शासन।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
6. वरिष्ठ आडिट आफीसर, (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त सम्बन्धित जनपद ।
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
10. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, समस्त सम्बन्धित जनपद ।
11. गार्ड फाइल।

जे0एल0यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।